गणतंत्र दविस 2022

प्रलिम्सि के लयि:

भारतीय संवधिान की वशिषताएँ और संबंधति पृष्ठभूमि।

मेन्स के लयि:

गणतंत्र दविस का महत्त्व और भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतयिाँ।

चर्चा में क्यों?

हर वर्ष 26 जनवरी को भारतीय संवधिान को अपनाने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दविस (वर्तमान 73वाँ) मनाया जाता है, जो 1950 में इसी दनि अर्थात् 26 जनवरी को लागू हुआ था।

- संवधिान देश का सर्वोच्च कानून है और नागरकिों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

प्रमुख बदिु

- **पृष्ठभूमि:**
  - 15 अगस्त, 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यह वह तारीख है जसि लॉर्ड लुई माउंटबेटन द्वारा नरि्धारति कयिा गया था जैसा कि **द्वतिीय वशि्व** युद्ध के बाद मति्र देशों की शक्तयिों को जापान की अधीनता की दूसरी वर्षगाँठ के रूप में चह्नित कयिा गया था।
  - भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसका अपना कोई संवधिान नहीं था। जो कानून उस समय वद्यिमान थे, वे एक सामान्य कानून प्रणाली और "भारत सरकार अधनियिम, 1935" के एक संशोधति संस्करण पर आधारति थे, जसि ब्रटिशि सरकार द्वारा लाया गया था।
  - लगभग दो सप्ताह बाद **डॉ. बी. आर. अंबेडकर** की अध्यक्षता में भारतीय संवधिान का मसौदा तैयार करने हेतु एक मसौदा समति नियिुक्त की गई और अंततः भारतीय संवधिान 26 नवंबर, 1949 (संवधिान दविस) को तैयार हुआ और इसे स्वीकार कयिा गया।
    - दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संवधिान लागू हुआ।.
  - 19 दसिंबर, 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने अपने लाहौर अधविशन में "पूर्ण स्वराज" या पूर्ण स्वशासन का एक ऐतहिासकि प्रस्ताव पारति कयिा।
  - कॉन्ग्रेस पार्टी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी, 1930 को भारतीयों द्वारा "स्वतंत्रता दविस" के रूप में मनाया जाएगा।
    - कॉन्ग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे पंडति जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तरिंगा फहराया। इस दनि को अगले 17 वर्षों तक पूर्ण स्वराज दविस के रूप में मनाया जाता राह।
  - इस प्रकार जब 26 नवंबर, 1949 को भारत के संवधिान को अपनाया गया, तो कई लोगों ने राष्ट्रीय गौरव से जुड़े इस दनि (26 जनवरी) पर कानूनी दस्तावेज़ को स्वीकार करना और लागू करना आवश्यक समझा।
- **महत्त्व:**
  - गणतंत्र दविस भारतीय इतहिास में एक महत्त्वपूर्ण दनि है क्योंकि इसी दनि भारत ने अपना संवधिान अपनाया था और देश के अपने कानूनों की घोषणा की थी।
  - **ब्रटिशि औपनवेशकि भारत सरकार अधनियिम (1935)** को अंततः बदल कर देश एक नई शुरुआत करने के लयि तैयार था।
  - इसके अतरिक्ति इसी दनि भारत के संवधिान की प्रस्तावना को भी लागू कयिा गया था।
    - प्रस्तावना मोटे तौर पर एक व्यापक बयान है जो संवधिान के प्रमुख सद्धिांतों को प्रस्तुत करती है।
  - इसी दनि भारत ने **औपनवेशकि व्यवस्था को समाप्त** कयिा और **एक संप्रभु लोकतांत्रकि** गणराज्य बनकर एक नई सुबह की शुरुआत की।
  - यह दनि हमारे समाज और हमारे सभी नागरकिों के बीच **स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं समानता के प्रति हमारी प्रतबिद्धता की पुष्टि** करने के लयि हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र के मूल्यों को मनाने का अवसर है।
  - यह दनि एक वशािल राष्ट्र की इच्छा का जश्न मनाता है जो भारत की **ववििधता में एकता का** उदाहरण प्रस्तुत करते हुए **एकल संवधिान के माध्यम से शासति** होना चाहता है।

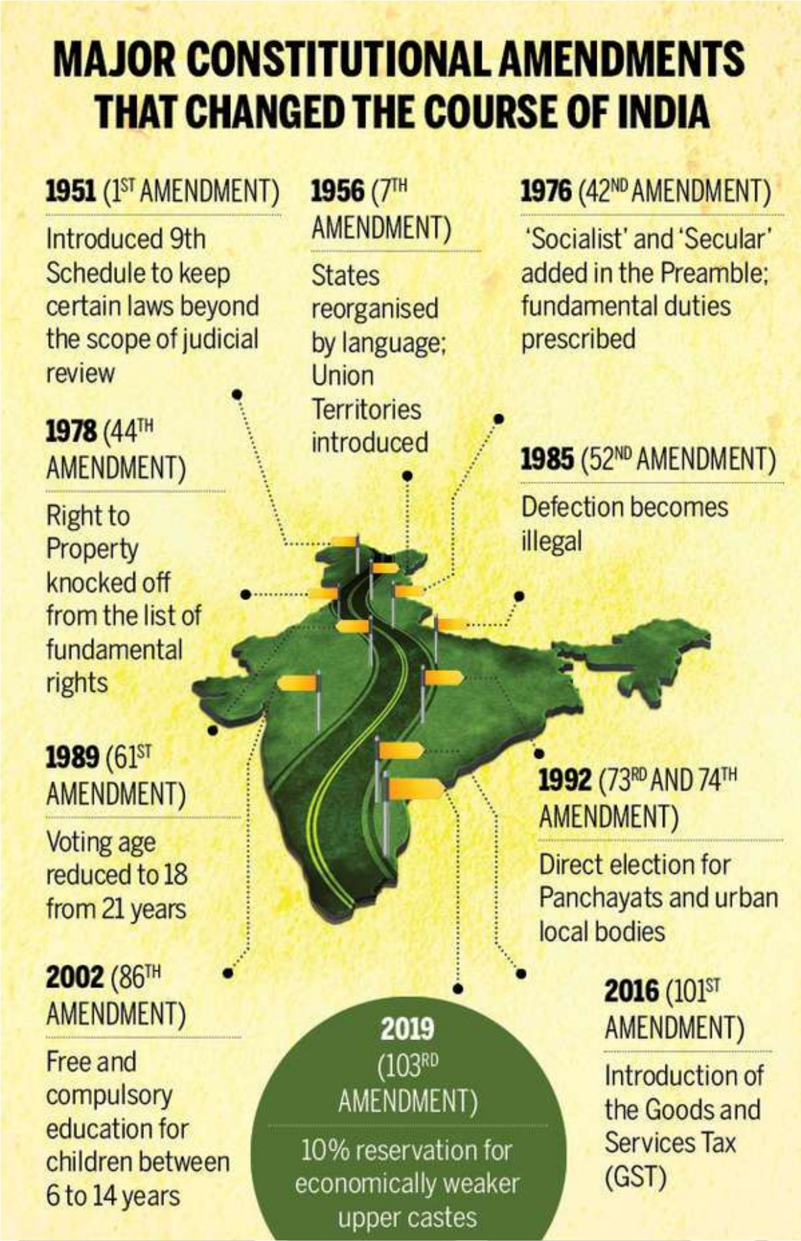

//

- **भारतीय लोकतंत्र के लिये खतरा:**
  - हालाँकि भारत ने दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी एक जगह बनाई है, लेकिन यह विकास के नाम पर बहुत पीछे छूट जाता है।
  - **गरीबी** वर्तमान भारत की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे अमीर एवं गरीब के बीच एक विशाल विभाजन के साथ जीवन यापन कर रहे हैं।
  - विषम महिला अनुपात, आर्थिक अवसरों तथा मज़दूरी में असमानता, हिंसा, कुपोषण आदि के साथ लैंगिक भेदभाव जैसे सभी स्तरों पर बना हुआ है।
  - **सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद** ने भारत में एक बहुत ही खतरनाक रूप ओए भयानक अनुपात हासिल कर लिया है। यह भारत की राष्ट्रवादी पहचान का अपमान है तथा इसकी उभरती धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के लिये दुखद है।
  - भारतीय लोकतंत्र भी क्षेत्रवाद की चुनौतयों का सामना कर रहा है जो मुख्य रूप से **क्षेत्रीय असमानताओं और विकास में असंतुलन** का परिणाम है।
  - राज्य स्तर पर और राज्य के भीतर निरंतर असमानता के कारण उपेक्षा, अभाव और भेदभाव की भावना पैदा होती है।
  - चुनाव,जो कि लोकतंत्र की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति के रूप में काम करते हैं, राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा धन एवं बाहुबल के दुरुपयोग से प्रभावित होते हैं।
  - अधिकांश राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं; वहीं चुनाव के लिये धन का स्रोत संदिग्ध बना हुआ है।

संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र

- **संप्रभु:** 'संप्रभु' का तात्पर्य है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है। इसके ऊपर किसी का कोई अधिकार

नहीं है, यह अपने मामलों का संचालन करने हेतु स्वतंत्र है।

- **लोकतांत्रिक:** यह 'लोकप्रिय संप्रभुता' के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति का अधिकार आम लोगों के पास होता है।
- **गणतंत्र:** प्रस्तावना इंगित करती है कि भारत में एक निर्वाचित प्रमुख होता है ,जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से पाँच वर्ष की निश्चित अवधि के लिये चुना जाता है।

आगे की राह

- हमारे गणतंत्र ने एक लंबा सफर तय किया है और हमें इस बात की सराहना करनी चाहिये कि निई पीढ़ियाँ इस गणतंत्र को कितनी दूर ले आई हैं। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हमारी यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है।
- मात्रा से गुणवत्ता तक- उपलब्धि और सफलता के हमारे मानदंड को फिर से जाँचने की आवश्यकता है; ताकि इसे एक साक्षर समाज से एक ज्ञानी समाज की ओर ले जाया जा सके।
- समावेश की भावना को अपनाए बिना भारत के विकास की कोई भी अवधारणा पूरी नहीं हो सकती है। भारत का बहुलवाद इसकी सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया के लिये यह सबसे बड़ा उदाहरण है।
- 'भारतीय मॉडल' विविधिता, लोकतंत्र और विकास के एक तिपाई पर टिका हुआ है जहाँ हम एक को दूसरे के ऊपर नहीं चुन सकते हैं।
- राष्ट्र को सभी वर्गों और सभी समुदायों को शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र एक ऐसे परिवार में बदल जाए जो प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्टता और क्षमता का आह्वान व प्रोत्साहन कर सके।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/republic-day-2022